161

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक सी. 3-2/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 02 फरवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यपदेश.

विषय:–विभागीय पदोन्नतिं समितियों की बैठकें समय पर आयोजित करने बाबत्।
संदर्भ:–सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी 3–18/2001/3/1, दिनांक 12.06.2002 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3–7/2002/3/1, दिनांक 06.07.2002, परिपत्र दिनांक 03.11.2009.

—0—

शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जाती है और कई विभाग वर्ष के अंतिम महीनों में डी.पी.सी. करते हैं, जिससे पद रिक्त होते हुए भी लोक सेवकों को पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। इसी प्रकार स्थाई पद उपलब्ध होते हुए भी विभाग कई–कई वर्षों तक स्थाईकरण की कार्यवाही नहीं करते हैं।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवकों की पदोन्नति के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 तथा उसके अनुगामी निर्देश दिनांक 6 जुलाई, 2002 जारी किये गये हैं। उक्त नियमों के नियम 6 (4) में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित करने का प्रावधान है। इसके अलावा संदर्भित परिपत्रों द्वारा भी पदोन्नति समिति की बैठकें जनवरी माह में ही आयोजित करने के निर्देश जारी किये गये है। किन्तु अनेक विभागों में इसका पालन नहीं होने के कारण अनेक लोक सेवक समय पर पदोन्नति के लाभ से वंचित होते हैं।

3/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभाग सभी संवर्गों में दिनांक 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की उदभूत होने वाली रिक्तयों की गणना प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में करके पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करें। यह कार्य फरवरी माह के अंत तक अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जाए, यह सुनिश्चित किया जाए।

बेटी है तो कल है

4/ इसी प्रकार स्थाई पद उपलब्ध होने पर प्रतिवर्ष स्थाईकरण की बैठकें भी आवश्यक रूप से आयोजित की जाए।

5/ प्रत्येक विभागों/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिवर्ष सभी संवर्गों की वरिष्ठता सूची भी 31 मार्च के पूर्व अद्यतन करते हुए वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

6/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

1/2013

(आर.के. चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक सी.3-2/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 02 फरवरी, 2013

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग